निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 929) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2015

सं० 1 प्रा0आ0—22 / 2010 / 3047

समाज कल्याण विभाग

l:dYi

13 अगस्त 2015

विषयः— vkinkvk l: fuiVu d: fy, jkT; dh vkdfLedrk fuf/k l: ,d djkM: l: vf/kd vfxe dh Loh—fr gr: e[; lfpo dk fnlEcj 2015 rd d: fy, ikf/k—r dju d: lc/k eA

राज्य में मानसून द्वारा सामान्य से कम वर्षापात होने की भविष्यवाणी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई है। साथ ही, गत वर्षो के अनुभव के अनुसार मानसून के दौरान राज्य के बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ आने की संभावना भी बनी रहती है। वैसी दशा में अनुमान है कि वर्ष 2015 में राज्य के कुछ जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है एवं बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ भी आ सकती है। संभावित सुखाड़ एवं बाढ़ से निपटने के लिए राज्य एवं जिलों में आवश्यक तैयारियाँ भी प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी बीच राज्य में मानसून के प्रवेश करने के बावजूद राज्य के कतिपय जिलों में सामान्य के मुकाबले अल्प वर्षापात होने के कारण धान के बिचड़े का आच्छादन एवं धान की रोपनी का आच्छादन प्रभावित हुआ है। फलतः राज्य के कतिपय जिलों, खासकर उत्तर बिहार के जिलों में सुखाड़ की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव आवश्यक है कि बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए वित्तीय व्यवस्था कर ली जाए। हालांकि विभाग के बजट में बाढ़ एवं सुखाड़ के लिए राशि का प्रावधान पूर्व से ही किया गया है, परन्तु यदि बाढ़ एवं सुखाड़ की भयावहता बढ़ेगी तो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। उस दशा में राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की जरूरत पड़ेगी।

2. कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या 31 के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि से एक करोड़ से अधिक अग्रिम की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद् सक्षम है। आपदा से निपटने के लिए अविलम्ब राशि की

उपलब्धता हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् की शक्ति का प्रत्यायोजन करने का निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30.07.2015 को हुई बैठक में लिया गया।

3. अतएव आपदाओं से निपटने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रूपए से अधिक अग्रिम की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव को प्राधिकृत किया जाता हैं। कार्यहित में मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर ही ऐसा निर्णय ले सकेंगे। अग्रिम स्वीकृत करने की यह शक्ति दिसम्बर 2015 तक के लिए ही रहेगी।

vkns'k %& vkns'k fn;k tkrk gS fd bl ladYi dks fcgkj jkti= ds vlk/kkj.k vad esa izdkf'kr fd;k tk;A ;g vkns'k fn;k tkrk gS fd ladYi dh izfr lHkh foHkkx@lHkh foHkkxk/;{kksa ,oa egkys[kkdkj] fcgkj] iVuk dks lwpuk ,oa vko';d dkjZokbZ gsrq izsf"kr fd;k tk;A

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
izR;; ver,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 929-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in